न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 36/2020

शैतान सिंह पुत्र स्व. श्री जमनाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम झड़यानगर, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम शैतान सिंह वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 45/2019 निर्णय दिनांक 27.01.2020

उपस्थितिः—

1 .श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम शैतान सिंह मु0नं0 45/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी में प्रकरण दिनांक 27.01.2020 को नियत था जिस पर अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में जानी चाहिये थी परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेशिका पारित की कि— दिनांक 27.01.2020 को पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उप.। नोटिस जवाब पेश किया। शामिल मिशल है और कोई जवाब पेश नहीं करना चाहा। जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली में निर्णय बेदखली पृथक से लिखा जाकर शामिल है। [illegible] फैसल शुमार होकर नंबर से कम है। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार [illegible] नंबर 4227/2473 वाके ग्राम झाराया नगर के रकबा 0.01 हैक्टर किस्म [illegible] दुकान निर्माण [illegible] जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

की रिपोर्ट पेश की। अपीलार्थी द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि तथाकथित भूमि पर जो अतिक्रमण पटवारी हल्का द्वारा करना बताया है वह दुकाने प्रार्थी के पिता के समय की करीब 50 वर्ष पहले बनी हुई हैं, पुराना कब्जा है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफीकेशन 1994 एवं 2002 के अनुसारा उपरोक्त भूमि नियमन होने योग्य है। उपरोक्त परिसर में प्रार्थी के भाई के नाम विद्युत कनेक्शन है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मनमाने तरीके से प्रस्तुत रिपोर्ट के आधारा पर निर्णय पारित किया है जो कतई विधिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। आलौच्य निर्णय स्पीकिंग निर्णय की श्रेंणी में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया, केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है। अपीलांट का पूर्वजों के समय से करीब 50 वर्ष से अधिक समय से विवादित भूमि पर कब्जा हैं एवं विद्युत कनेक्शन आदि जुड़े हुये हैं । अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में अपने निर्णय में कोई टिप्पणी नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय स्पीकिंग निर्णय की श्रेंणी में नहीं आता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.01.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा

अति. जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 27.01.2020 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म बंजड–II है। अपीलांट्स का कथन है कि विवादित भूमि पर करीब 50 वर्ष से अधिक उनके पूर्वजो के समय से ही विवादित भूमि पर पुख्ता चारदिवारी मकानात/दुकान आदि बनाकर आबाद हैं, बिजली पानी के कनेक्शन है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने समस्त कार्यवाही हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर की है। तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि का मौका नहीं देखा गया है। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने निर्णय में अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी है।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी ने समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत पचलंगी के प्रस्ताव एवं शिकायत के आधार पर की है। हस्तगत प्रकरण में केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही बेदखली आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि का मौका नहीं देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा अपने निर्णय में अपीलांटस का कितना पुराना कब्जा/अतिक्रमण है और राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि जिसकी किस्म बंजड़ II है। भूमि के नियमन नहीं होने के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी। अपीलांट्स का कथन है कि आजादी से पूर्व से ही उनके पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर पुख्ता दुकान/मकानात बने हुये हैं, बिजली पानी के कनेक्शन आदि हैं और राजनैतिक रंजीश के कारण दबाव में हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 उनवानी सरकार बनाम शैतान सिंह मु0नं0 45/2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपीलांट्स द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज का विधिक रूप से परीक्षण कर राज्य सरकार के परिपत्रों के मध्यनजर बंजड–II की भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य है अथवा नहीं बाद परीक्षण पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

30.9.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested